109

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर साहब, जिला रतलाम (म. प्र.)

R-3384-II/13

पुरालाल पिता नागुजी जाति माली उम्र 60वर्ष
निवासी नरसिंह मंदिर गली मार्ग वार्ड नंबर-6 ताल,
तहसील आलोट जिला रतलाम म. प्र. :-- प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. गोविंद कुंवर पति भेरूसिंह उम्र 60 जाति राजपुत,
2. मनोहरसिंह पिता भेरूसिंह उम्र 40वर्ष जाति राजपुत
निवासी नरसिंह गली मंदिर मार्ग ताल जिला रतलाम :--प्रतिप्रार्थी/विपक्षी

रिविजन बनाराजगी न्यायालयश्रीमान् तहसीलदार साहब ताल के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 2अ13/11-12 अंतरिम आदेश दिनांक 9-2-2012 से असंतुष्ट होकर।

रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भु. रा. संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता कि ओर से निम्नलिखित रिविजन प्रस्तुत है:-

(प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य)

1. यह कि, प्रार्थी व प्रतिप्रार्थीगण का आवासीय भवन नगर पालिका ताल के वार्ड क्रमांक 6 नरसिंह गली मंदिर मार्ग ताल पर स्थित है उक्त मकान से लगी हुई प्रार्थी की निजी गली तीन फीट की स्थित है जिससे प्रार्थी के आवागमन की एक मात्र स्थान है जो प्रायवेट होकर प्रतिप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है ।

2. यह कि, प्रतिप्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-2 आलोट के न्यायालय मे सिविल वाद प्रस्तुत किया जिसका प्रकरण क्रमांक 13ए/2009 जिसका अंतिम निराकरण दिनांक 23-4-2010 को किया जाकर निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रतिप्रार्थी का वाद सव्यय निरस्त किया गयाउक्त निर्णय एवं डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय रतलाम के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की उक्त प्रतिप्रार्थी की अपील निरस्त की गई तथा प्रार्थी की गली मे उक्त प्रतिप्रार्थी का स्वत्व न होने से सिविल प्रकरण व अपील निरस्त की गई इसी से स्पष्ट है कि सभी निर्णय प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध दिये गये निर्णय की नकल सलंग्न है

निरंतर3

XXIX(a)-BR(H)-11

(79)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3384-एक/13 **जिला -** रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	

दक

उ: प्रमाण

न्यायालय के निर्णय उसके विरुद्ध